संख्या.-33/2016/ 246 /अड़तीस-9-16-500(27)/2013

प्रेषक

एन0के0 सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 20 मई, 2016**

विषय- 'विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि' योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त।

महोदय,

उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1240/अड़तीस-9-13-500(17)/2012, दिनांक-14.10.2013 के प्रस्तर-1 द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिये कार्यदायी संस्थाओं के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है। साथ ही शासनादेश संख्या-9/154/अड़तीस-9-14-500(39)/2013, दिनांक-04.03.2014 द्वारा उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार कार्यवाही हेतु पुन: स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है।

2- कृपया उक्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

एन0के0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 33/2016/246(1)/अड़तीस-9-2016, तद दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
(2)- गार्डबुक।

आज्ञा से,

एन0के0 सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।